



पत्र संख्या- 213/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-14.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 14.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01. थाना-मुबारकपुर:-** ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाला वांछित **01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 08 अभियुक्त पकड़े गये।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.06.2025 को आवेदक संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि ग्राम बम्हौर में राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह में लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दूसरे समुदाय के लड़कों

01. अबुजैद पुत्र भुल्लन, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

02. रहमान पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

03. वकाश पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

04. वसीम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

05. आलिम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

06. जुबैद पुत्र इफ्तेखार, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

07. वकार पुत्र महमूद, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

08. एहतेशाम पुत्र शब्बीर, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

09. अरबाज पुत्र कमालू, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

10. अरमान पुत्र कमालू, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

11. अरमान पुत्र जावेद, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

12. भुल्लन पुत्र आले हसन, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

13. सैफु पुत्र अज़ात, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

14. नदीम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

15. अरमान पुत्र अज़ात, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

16. मोअज्जम पुत्र अब्दुल कय्युम ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

17. मोहम्मद जहीरू पुत्र जहीरूदीन निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

18. रहमान पुत्र स्व० बदरेआलम उर्फ हीटलर ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (ग्राम प्रधान) और उनके साथ के अन्य लड़के* परछन में शामिल महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाने लगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए फब्तियाँ कसने लगे। जिसका विरोध करने पर उन लोगों द्वारा मारा-पीटा गया व जान से मारने की धमकी दिया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं० 228/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 125, 61(2) 74, 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी एसटी एक्ट* पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों

1. अबूजैद पुत्र मुस्तकीम, निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

2. अरमान पुत्र जावेद, निवासी बम्हौर, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

3. वसीम पुत्र शमीम निवासी बम्हौर, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

4. मो० मोअज्जम पुत्र अब्दुल कयूम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

5. एहतेशाम पुत्र शब्बीर, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

6. 01 किशोर अपचारी (पुलिस अभिरक्षा)

7. रहमान पुत्र शमीम, निवासी बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक *14.06.2025* को निहार नन्दन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *रहमान पुत्र स्व० बदरे आलम उर्फ हिटलर, सा० बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष को नीबी बम्हौर मार्ग से समय करीब 06.50 बजे* गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम

विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. रहमान पुत्र स्व० बदरे, आलम उर्फ हिटलर, सा० बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. धारा 3(5),115(2),352,351(3), 109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
02. हे०का० विधि चन्द्र, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
03. का० जितेन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
04. म०का० शिवानी सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।



02.थाना-सरायमीर:-दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार*

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.06.2025 को आवेदिका श्रीमती सन्ध्या मौर्या पत्नी रमाकान्त वर्मा पता प्रतिफा अतलस पोखरा आजमगढ़ प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज सरायमीर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा०पत्र प्राप्त दिया गया कि दिनांक 13/06/2025 को डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा विद्यालय में चल रही थी कि 11.30 AM बजे (प्रथम पाली) में केन्द्र व्यवस्थापक, सहकेन्द्र व्यवस्थापक एवं पर्यवेक्षक के द्वारा कक्ष चेकिंग की जा रही थी की कक्ष सं० 05 में आशीष कुमार पुत्र राजमन प्रसाद रोल नं 2543372144001, परीक्षार्थी अनुप कुमार विश्वास के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया तथा कक्ष सं० 08 में आदर्श गौड़ पुत्र शिवकुमार गौड़ रोल नं 2543372144048, परीक्षार्थी अम्बरीष कुमार के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तथा पकड़े गये व्यक्तियों को थाने पर ला कर सुपुर्द किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 267/2025 धारा 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(4)/112(2) बीएनएस व 8/9/13 उ०प्र० सावर्जनिक परीक्षा अनुचित साधनो का निवारण अधिनियम बनाम 1.आशीष कुमार पुत्र राजमन प्रसाद सा० कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2. आदर्श गौड़ पुत्र शिवकुमार गौड़ सा० बेलउ थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगणों को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

- 1.आशीष कुमार पुत्र राजमन प्रसाद, सा० कमालपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. आदर्श गौड़ पुत्र शिवकुमार गौड़, सा० बेलउ, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

01.मु०अ०स० 267/2025 धारा 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(4)/112(2) बीएनएस व 8/9/13 उ०प्र० सावर्जनिक परीक्षा अनुचित साधनो का निवारण अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।



03.थाना-फूलपुर:- झाड़-फूक करने वाला बाबा (ओझा) दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 13-06-2025 को द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री के पेट में दर्द था जो दवा-इलाज कराने ठीक नहीं हो रहा था तब मैंने अपनी पुत्री को झाड़-फूक कराने के लिए मोहन राम पुत्र स्व0 हरखू ग्राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ओझा के पास उसके घर लेकर गई थी अपनी पुत्री को दो दिन दिखाकर अपने साथ अपने घर चली आई। दिनांक 12.06.2025 को पुनः समय करीब रात्रि 08.00 बजे अपने पुत्री को लेकर ओझा के घर गई तो ओझा द्वारा कहा गया कि अपनी लड़की को यही छोड़ दीजिए मैं अपनी लड़की को ओझा के पास छोड़कर चली आई पुनः अपनी लड़की को रात्रि 12 बजे अपनी लड़की को लेकर घर चली आई। आज दिनांक 13.06.2025 को मेरी पुत्री के पेट में दर्द होने लगा तो उसे ओझा के पास पुनः ले जाने के लिए कही तो मेरी पुत्री रोकर कही कि मैं उसके घर नहीं जाऊँगी ओझा द्वारा कल रात्रि को मेरे साथ रेप किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-297/25 धारा धारा 65 (1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम मोहन राम पुत्र स्व0 हरखू ग्राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ (ओझा) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 13.06.2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहन राम पुत्र स्व0 हरखू ग्राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ (ओझा) को टेउंगा मोड़ पावर हाउस तिराहा के पास से समय करीब 21.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मोहन राम पुत्र स्व0 हरखू ग्राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ (ओझा) उम्र करीब 60 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-297/25 धारा धारा 65 (1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर आजमगढ़
02. व030नि0 गंगा राम विन्द थाना फूलपुर आजमगढ़
03. म030नि0 प्रियंका तिवारी थाना फूलपुर आजमगढ़
04. का0 श्रीकान्त थाना फूलपुर आजमगढ़
05. का0 विशाल गौड़ थाना फूलपुर आजमगढ़
06. म0का0 कृष्णा शुक्ला थाना फूलपुर आजमगढ़



04.थाना-रौनापार:-युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 07.06.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सनी कुमार पुत्र भाष्कर राम साकिन जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.06.2025 को उ0नि0 विवेक सिंह मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सनी कुमार पुत्र भाष्कर राम साकिन जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को ग्राम जोकहरा नगर से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 216/25 धारा 87/137(2)बीएनएस थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सनी कुमार पुत्र भाष्कर राम साकिन जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

02. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

03. का0 जितेन्द्र सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।



05.थाना-अहरौला:-दुष्कर्म में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक 12.06.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सावन कुमार पाण्डेय उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार पाण्डेय ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर दिनांक 09.06.2025 को अपने साथ भगा ले जाया गया। आवेदिका की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/2025 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस. बनाम अभियुक्त 1. सावन कुमार पाण्डेय उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार पाण्डेय निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 5 L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 14.06.2025 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सावन कुमार पाण्डेय उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार पाण्डेय निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को पकड़ी तिराहा बाई पास से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 221/2025 धारा 137(2)/87/65 (1) बीएनएस व 5 L/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. सावन कुमार पाण्डेय उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार पाण्डेय निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 055/2022 धारा 379/411 भादवि व 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 065/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 विश्राम गुप्ता थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

02. का0 प्रमोद कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।



06.थाना-बरदह:- आत्म हत्या के लिए उकसाने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 13.06.25 को वादी मुकदमा राजनाथ राय पुत्र स्व0 अवधेश राय ग्रा0 मुडहर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मैं अपनी पुत्री की शादी हिन्दू रीति रिवाज के तहत वर्ष 2015 में ग्रा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ में आदेश राय पुत्र अलख नारायण राय के साथ किया था। जब से शादी हुई थी तब से मेरी पुत्री को उसके ससुराली जन में पति, सास शारदा देवी पत्नी अलख नारायण राय व उसकी ननद अनीता राय पुत्री अलखनारायण राय व आदेश के मामा विरेन्द्र राय पुत्र मनोकामना राय ग्रा0 मैनपुर द्वारा अनायास दहेज की माँग किया करते थे तथा मेरी पुत्री को गाली गुप्ता देते हुए तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे, सारी घटना मेरी पुत्री हमसे तथा हमारी पत्नी से बताया करती थी, इसके बाद भी मैं सामर्थ अनुसार अपनी पुत्री का सहयोग करता था, इसी क्रम में दिनांक 11-6-2025 को पुनः उसके ससुराली जन उपरोक्त द्वारा मेरी पुत्री को मारा पीटा गया तथा दहेज के सामान कम देने का ताना मार कर प्रताड़ित किया गया इस सब घटना से मेरी पुत्री आहत होकर फांसी लगा ली, मेरी पुत्री के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/25 धारा 108/352/115(2)/ 85 BNS व 3/4 DP Act बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से धारा 352/115(2)/ 85 BNS व 3/4 DP Act का लोप किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 14.06.25 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित दोनों अभियुक्ता 1. अनीता राय पत्नी हेमन्त राय निवासी रायपुर थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष हाल पता पुत्री स्व0 अलखनारायण ग्राम सोहौली थाना बरदह, आजमगढ़ 2. शारदा देवी पत्नी स्व0 अलखनारायण राय निवासी सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को लल्लूगंज चौराहा से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अनीता राय पत्नी हेमन्त राय निवासी रायपुर थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष हाल पता पुत्री स्व0 अलखनारायण ग्राम सोहौली थाना बरदह, आजमगढ़
2. शारदा देवी पत्नी स्व0 अलखनारायण राय निवासी सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 171/25 धारा 108 बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 मनीष सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 बिहंगल यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. का0 पवन कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़



07.थाना-फूलपुर:-चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार तथा 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास--

दिनांक 13-06-2025 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र रामसअजोर बिन्दु ग्रा0 सरैया खुर्द आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कालीमठ मंदिर जो आबादी से दूर है, मंदिर परिसर में बिजली का खम्भा जो पहले से लगा है, जिसमें 06 खम्भे कुछ चोरों द्वारा लगभग 4-5 दिन के अन्दर चोरी कर लिया गया है, मुझे जानकारी हुई कि ग्रा0 भटपुरवा में सन्त राम पुत्र सन्दीप के घर एक बिजली का खम्भा रखा है, जिसे मैं जाकर देखा एक खम्भा मेरे मंदिर में लगा था उसके घर था। मैंने पूछा तो सन्त राम द्वारा 03 लोगों का नाम बताया गया की इनके द्वारा मिलकर चोरी किया है और मेरे खेत में रखे थे। जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-300/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम संदीप पुत्र सन्तराम बिन्दु सा0 भटपुरवा थाना फूलपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण--

आज दिनांक 14.06.2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप बिन्दु पुत्र सन्तराम बिन्दु सा0 भटपुरवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को पलिया आईटीआई के पास से समय करीब 12.33 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 03 अन्य बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. संदीप बिन्दु पुत्र सन्तराम बिन्दु सा0 भटपुरवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष
02. 03 नफर बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की धनराशि कुल 1840/ रुपया नगद व खम्भा लोहे का

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-300/25 धारा धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

01. उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर आजमगढ़
02. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार गिरी थाना फूलपुर आजमगढ़
03. का0 अनुपम सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़
04. का0 पंकज यादव, थाना फूलपुर आजमगढ़
05. का0 इरशाद अंसारी थाना फूलपुर आजमगढ़

